

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर

(दूरभाष नम्बर:-0141-2740735 फ़ैक्स नम्बर:- 0141-2742309)

क्रमांक:- प(4)/(ई)(1)(6)एसीपी/अलेसे-III/२२२५ दिनांक:- 14-08-18

अतिरिक्त निदेशक,
पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग
बीकानेर,

विषय :- श्री देवी सिंह देपावत (सेवानिवृत्त कनिष्ठ लेखाकार) का
द्वितीय/तृतीय चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. स्वीकृत करने
बाबत।

प्रसंग :- आपका पत्रांक 290 दिनांक 25.01.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके प्रसंगाधीन पत्र द्वारा प्रेषित चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. प्रकरण के क्रम में लेख है कि श्री देवी सिंह देपावत (सेवानिवृत्त कनिष्ठ लेखाकार) के वांछित वर्षों के ए.पी.ए.आर. (वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन) प्राप्त नहीं होने के कारण द्वितीय/तृतीय चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. स्वीकृत नहीं किया जा सकता है अतः अपेक्षित पूर्ति पश्चात् प्रकरण इस विभाग को प्रेषित करने का श्रम करावें।

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)

क्रमांक:- प(4)/(ई)(1)(6)एसीपी/अलेसे-III/२२२५ दिनांक:- 14-08-18
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उपनिदेशक (ए.सी.पी.) विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
2. श्री देवी सिंह देपावत (सेवानिवृत्त कनिष्ठ लेखाकार)।

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)